



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272384
CG-DL-E-09052026-272384

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2271]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2271]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2362(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 54 के उपनियम (1) के साथ पठित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 138 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक या बीमा आयुक्त या अपर आयुक्त या क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'क'/निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/संयुक्त निदेशक को, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, अध्याय-4 से संबंधित उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन आने वाले सभी स्थापनों के संबंध में, उक्त संहिता के अधीन 'संयोजन अधिकारी' की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर-19025/16/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2362(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 138 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) read with sub-rule (1) of rule 54 of the Social Security (Central) Rules, 2026, the Central Government hereby authorises the **Director General or Insurance Commissioner or Additional Commissioner or Regional Director Grade 'A'/Director or Regional Director Grade 'B'/Joint Director of Employees' State Insurance Corporation** to exercise the powers of **compounding officer** under the said Code from the date of publication of this notification in the official gazette, in relation to all establishments covered under the provisions of the said Code relating to Chapter IV.

[F. No. R-19025/16/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.